न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 17, गाजियाबाद।

एस०सी०सी० संख्या 17/2021

वसीम आदि बनाम युसुफ

दिनांकः- 02.02.2024

निस्तारण प्रार्थनापत्र 17 ग अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी पी सी

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.01.2024 को प्रार्थनापत्र 17 ग अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी पी सी के निस्तारण पर नियत है।

वादी की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता से प्रस्तुत 17 ग अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में वादी की ओर से एक प्रार्थनापत्र दिनांक 28.07.2023 अंतर्गत धारा 20(4) एक्ट 13 सन 1972 के तहत वाद की प्रथम नियत दिनांक व इसके पश्चात भी देय किराया व अन्य मतालबा जमा ना करने तथा लगातार डिफ़ोल्टर होने के आधार पर प्रतिवादी का डिफेंस स्ट्रक आफ करने हेतू प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रार्थनापत्र तैयार करते समय क्लर्क से त्रुटिवश धारा 15 नियम (5) सी पी सी के स्थान पर धारा 20(4) एक्ट 13 सन 1972 लिख दिया गया है, जिसको अब वादी दुरूस्त करना चाहता है, जिसके लिये वाद में आवश्यक संशोधन किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है, जिसके लिये उपरोक्त संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है। प्रार्थना की गयी है कि उपरोक्त कथनों व संलग्न शपथपत्र में वर्णित कारणों के आधार पर वाद में निम्न प्रस्तावित संशोधन करने की अनुमति भी प्रदान की जावे।

प्रार्थनापत्र दिनांक 28.07.2023 के शीर्षक में धारा 20(4) एक्ट 13 सन 1972 को कलमजद करके उसके स्थान पर "आदेश 15 नियम (5) सी पी सी" लिखा जाये। प्रार्थनापत्र दिनांक 28.07.2023 के पेज नं० 2 की आठवीं पक्ति में शब्द "प्रतिवाद करने का" के आगे "आदेश 15 नियम (5) सी पी सी के अंतर्गत" लिखा जावे। प्रार्थनापत्र दिनांक 28.07.2023 में के अनुतोष में शब्द धारा 20(4) एक्ट 13 सन 1972 लिखा हुआ है, उसके कलमजद करके उसके स्थान पर आदेश 15 नियम (5) सी पी सी" लिखा जावे।

उक्त प्रार्थनापत्र 17 ग शपथपत्र 18 ग से समर्थित है।

प्रतिवादी द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर आपत्ति पृष्ठांकित करते हुए कथन किया गया है कि हर्जे पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 17 ग पर उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादी वास्ते बेदखली व किराया वसूली हेतू योजित किया गया है। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र करते हुए अपनी रेप्लिका दिनांकित 28.07.2023 में शीर्षक में धारा 20(4) एक्ट 13 सन 1972 के स्थान पर "आदेश 15 नियम (5) सी पी सी", रेप्लिका के पेज नं० 2 की आठवीं पक्ति में शब्द "प्रतिवाद करने का" के आगे "आदेश 15 नियम (5) सी पी सी के अंतर्गत" व रेप्लिका दिनांकित 28.07.2023 में के अनुतोष में शब्द धारा 20(4) एक्ट 13 सन 1972 के स्थान पर "आदेश 15 नियम (5) सी पी सी" लिखे जाने की याचना की गयी है। वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 17 ग पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी

अनापत्ति पृष्ठांकित की गयी है। वादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र 17 ग के माध्यम से अपनी रेप्लिका दिनांकित 28.07.2023 में जो संशोधन किये जाने की याचना की गयी है। उक्त संशोधन स्वीकार किये जाने से प्रतिवादी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। वाद के सम्यक निस्तारण के लिए उक्त प्रार्थनापत्र को हर्जे पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। न्यायहित में प्रार्थनापत्र 17 ग के स्वीकार किये जाने के पर्याप्त आधार हैं। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 17 ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 17 ग 500/– रूपये(पांच सौ रूपये) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन बाद हर्जा अदायगी अंदर सात दिन किया जाये। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 17 ग निस्तारित किया जाता है। पत्रावली अग्रिम दिनांक 11.02.2024 को पेश हो।

दिनांक 02.02.2024

(सीमा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 17, गाजियाबाद।